

संचालनालय, नगरीय प्रशासन, भोपाल

फायर कंसल्टेन्ट

स.क्र.	नाम	मोबाइल नम्बर	स्थान
1	श्री मनीष दुबे	08979770800 09754568278	इन्दौर
2	श्री अकित निगम	09755298112 08770994023	इन्दौर
3	श्री शुभाशीष चौधरी	09425353355 09926499290	इन्दौर
4	श्री बाबूलाल चौधरी	09827277459	इन्दौर
5	श्री शरीष शर्मा	09926026294	इन्दौर
6	श्री अश्वनी शर्मा	09993054749	इन्दौर
7	श्री अमित शर्मा	09926931012	इन्दौर
8	श्री तरुण गुप्ता	09039661086	मुरैना
9	श्री पी.के. दीवान	09424439060	भोपाल
10	श्री विशेष राठौर	08827088824	इन्दौर
11	श्री नितिन पाटीदार	09165588656	इन्दौर
12	श्री सुरजीत सिंह चौहान	09926649528	ग्वालियर
13	श्री सौरभ शर्मा	07999525602	इन्दौर
14	श्री आकाश परदेशी	09981478633	इन्दौर
15	श्री अन्शुल कायस्त	08770536553	इन्दौर
16	श्री इशान कालरा	07566358651	इन्दौर
17	श्री सागर चौकसे	08720000039	इन्दौर

नोट:- सूची के साथ संलग्न कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.10.2017 अनुसार शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (फायर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी इंजीनियरिंग) के न्यूनतम अर्हताधारी इंजीनियर्स भी फायर कंसल्टेन्ट का कार्य करने हेतु अधिकृत हैं। फायर एनओसी हेतु प्रथम बार भवन का फायर प्लान प्रस्तुत करते समय फायर कंसल्टेन्ट को अर्हकारी योग्यता उत्तीर्ण की उपाधि अपलोड करना अनिवार्य होगा।



संचालनालय, नगरीय प्रशासन
Directorate, Urban Administration

गस, म.प्र., भोपाल
Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2554081 Fax 0755-2554081
Website: www.mnurban.gov.in

क्रमांक/यां.प्र./2017/12222

भोपाल, दिनांक 12/10/2017

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद/नगर परिषद
मध्यप्रदेश।

विषय:-फायर कंसल्टेन्ट का कार्य करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-87 के तहत राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग-4 में उल्लेखित अग्नि सुरक्षा के उपायों को लागू कराने हेतु उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन के आदेश दिनांक 26.11.2015 द्वारा अपर आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल को विधिवत "अग्नि शमन प्राधिकारी" घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग-4 में उल्लेखित अग्नि सुरक्षा उपायों का फायर प्लान फायर कंसल्टेन्ट द्वारा तैयार किया जाना है और भवनों का फायर प्लान तैयार करने हेतु फायर कंसल्टेन्ट के पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से बी.ई. (फायर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी इंजीनियरिंग) की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-16(6) में भवन निर्माण रेखांक तैयार करने के प्रावधानों के अनुसार ही फायर कंसल्टेन्ट द्वारा भवनों का फायर प्लान तैयार किया जाएगा। विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रक्रिया के माध्यम से फायर एनओसी प्रदाय की जा रही है और फायर एनओसी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in पर उपलब्ध है। फायर एनओसी हेतु प्रथम बार भवन का फायर प्लान प्रस्तुत करते समय फायर कंसल्टेन्ट को अर्हकारी योग्यता उत्तीर्ण की उपाधि अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त लिखित न्यूनतम अर्हताधारी इंजीनियर्स को फायर कंसल्टेन्ट का कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(अनुराग शrivastava)

अपर आयुक्त/अग्नि शमन प्राधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 12/10/2017

पृ.क्रमांक/यां.प्र./2017/

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक, राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर 440001।
4. कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गांधी नगर, भोपाल।

अपर आयुक्त/अग्नि शमन प्राधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल